न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 40/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. शंकरलाल पिता कस्तूर दर्जी आयु वयस्क निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कंकु बाई बेवा रूपलाल दर्जी आयु वयस्क निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. पेमा पिता कालू भील आयु वयस्क निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. अमरा पिता रतू भील आयु वयस्क निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. देवीलाल पिता तुलछा जाट आयु वयस्क निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. जमना लाल पिता गणेश तेली आयु वयस्क निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. सुनील बापना

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 15.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प आशाहोली मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में राजस्व खाता संख्या 721 मे वर्णित आराजियात खसरा नम्बर 712 रकबा 0.23 है0, 718 रकबा 0.01 है0, 719 रकबा 0.95 है0, 720 रकबा 0.28 है0, 721 रकबा 0.49 है0 एवं 722 रकबा 0.16 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.12 हे0 स्थित है, जो हम प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की होकर हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 एवं नक्शा ट्रैस की प्रमाणित प्रतिलिपियां साथ पेश की जा रही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित आराजियात के पूर्व दिशा मे विपक्षी क्रम 1 एवं 2 की आराजियात है तथा पश्चिम तरफ विपक्षी क्रम 3 देवी लाल की आराजी है तथा उतर तरफ नदी है तथा दक्षिण तरफ विपक्षीक्रम 4 जमना लाल की आराजी है। हम प्रार्थीगण की आराजियात के चारो तरफ न तो पत्थर की कोट है न मिट्टी की डोल अथवा थूहर की बाड लगी हुई नही होने से आये दिन विपक्षीगण हमारी जमीन मे प्रवेश होकर घास काट लेते है तथा बेजानुक्सान कराते रहते है और मना करने पर हर समय जगडा होने की सम्भावना बनी रहती है। जिससे हम प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना चाहते है। इसी हेतु प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है। प्रार्थीगण ने चारो विपक्षीगण से कई बार कहा कि वाद वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कर वाले तो हर बार विपक्षीगण टालम टोल करते रहे जिससे विवश होकर हम को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पडा है। अंतिम बार दिनांक 20.02.2017 को चारो विपक्षीगण को पत्थरगढी कराने के लिए कहा तो चारो विपक्षीगण ने पत्थरगढी कराने से हि मना कर दिया जिससे इस प्रार्थना पत्र का बिनाय दिनांक 20.02.2017 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और माफिक कानून यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 16.03.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 एवं 3 व 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कारवाई नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की

हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में राजस्व खाता संख्या 721 मे वर्णित आराजियात खसरा नम्बर 712 रकबा 0.23 है0, 718 रकबा 0.01 है0, 719 रकबा 0.95 है0, 720 रकबा 0.28 है0, 721 रकबा 0.49 है0 एवं 722 रकबा 0.16 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.12 हे0 स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षरे दौ सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 980/– अक्षरे नौ सौ अस्सी रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

साधुराम जाट 15/6
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
15/6/17